मुख्य सचिव, उ0प्र0 की अध्यक्षता में समर्पित नगरीय परिवहन निधि की प्रबन्ध समिति की बैठक दिनांकः 08.08.2019 को समय पूर्वान्ह 11.00 बजे का कार्यवृत्त।

उक्त बैठक में निम्नांकित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गयाः—

1. श्री मनोज कुमार सिंह, प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन/सचिव निधि प्रबन्ध समिति।
2. श्रीमती अलकनन्दा, सचिव (वित्त), उ0प्र0 शासन।
3. श्री राजीव शर्मा, विशेष सचिव, नगर विकास/निदेशक, नगरीय परिवहन निदेशालय।
4. श्री अनिल कुमार यादव, विशेष सचिव, नियोजन, उ0प्र0 शासन।
5. श्री पवन कुमार, विशेष सचिव, आवास, उ0प्र0 शासन।
6. श्री ए0रहमान, प्रधान प्रबन्धक(प्राविधिक), उ0प्र0 परिवहन निगम।
7. श्री ए0के0 गुप्ता, अपर निदेशक, आर0सी0यू0ई0एस0।
8. श्री अजीत सिंह, संयुक्त निदेशक, नगरीय परिवहन निदेशालय।

उत्तर प्रदेश समर्पित नगरीय परिवहन निधि नियमावली—2013 के अन्तर्गत गठित निधि प्रबन्ध समिति की बैठक मा0 मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में उनके लोक भवन स्थित सभाकक्ष में सम्पन्न हुई।

प्रमुख सचिव, नगर विकास द्वारा निधि प्रबन्ध समिति की गत बैठक दिनांक 10.12.2018 में दिये गये निर्देशों की अनुपालन आख्या प्रस्तुत की गई, जिसका समिति द्वारा अनुमोदन किया गया।

नगर विकास विभाग द्वारा प्रस्तुत किये गये नये प्रस्तावों के विषय में समिति द्वारा निम्नांकित निर्णय लिए गएः—

प्रस्ताव—1 शासनादेश संख्या 197/2019/1315/नौ—9—19—02ज/2019टीसी दिनांक 25.07.2019 के माध्यम से विभिन्न एसपीवी हेतु वेतन के मद में निर्गत किये गये रू0 8.00 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति का समिति द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव—2 एसपीवी के घाटे की प्रतिपूर्ति के मद में

समिति द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया तथा प्रस्ताव के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019—20 में विशेष प्रयोजन वाहन (SPV'S) में घाटे की प्रतिपूर्ति हेतु रू0 55.00 करोड़ की आवश्यकता है, जिसके सापेक्ष रू0 8.00 करोड़ प्रस्ताव संख्या—1 के अनुरूप अनुमोदित किये जा चुके हैं। शेष रू0 47.00 करोड़ की धनराशि निदेशालय के निवर्तन पर उपलब्ध कराने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव—3 एसपीवी मेरठ को नई बस दिये जाने के संबंध में

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) द्वारा भारत स्तर—। तथा भारत स्तर—।। के सभी 10 वर्ष पुराने डीजल वाहन एवं 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहन स्क्रैप घोषित किये जाने के दृष्टिगत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले मेरठ शहर हेतु 150 सीएनजी बसें ग्रास कास्ट कान्ट्रैक्ट (जीसीसी) मॉडल पर बस संचालन हेतु सम्भावित व्ययभार के लिए रू0 38.63 करोड़ निदेशालय के निवर्तन पर उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

समिति द्वारा प्रस्ताव पर चर्चा की गई तथा निर्देशित किया गया कि प्रमुख सचिव, नगर विकास; प्रमुख सचिव परिवहन; प्रमुख सचिव वित्त; एवं सचिव, नगर विकास के साथ बैठक कर यह मत स्थिर करें कि शहरों में नगरीय बसों का संचालन परिवहन विभाग द्वारा परमिट निर्गत करके किया जाये अथवा प्रस्ताव में प्रस्तावित व्यवस्था के अनुरूप संचालन कराया जाये।

प्रस्ताव–4 इलेक्ट्रिक बसों के चार्जिंग डिपो की भूमि के लिए सम्भावित वित्तीय व्ययभार की व्यवस्था

वर्तमान में नगरीय बसों का संचालन उ0प्र0 परिवहन निगम की अवस्थापनाओं से होने के दृष्टिगत समिति द्वारा नगरीय बसों के संचालन हेतु भूमि के क्रय, स्टाम्प डियूटी व रजिस्ट्री चार्ज हेतु प्रस्तुत किये गये रू0 122.36 करोड़ के अनुमानित व्ययभार का अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया गया कि नगरीय बसों के संचालन हेतु बसों की संख्या के अनुरूप भूमि की आवश्यकता का मानकीकरण कर लिया जाये। इस कार्य हेतु वित्त विभाग से परामर्श प्राप्त किया जाये।

प्रस्ताव–5 इलेक्ट्रिक बसों के चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के संबंध में

इलेक्ट्रिक बसों के चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए प्रस्तुत किये गये रू0 250.05 करोड़ के प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए निर्देशित किया गया कि प्रस्ताव संख्या–4 के अनुरूप बसों की संख्या एवं भूमि/इन्फ्रास्ट्रक्चर का मानकीकरण भी करवाया जाये।

प्रस्ताव–6 एसपीवी में तैनात परिवहन निगम के अधिकारियों के सेवा निवृत्त होने की दशा में रिक्त पदों को भरे जाने पर विचार किये जाने के संबंध में।

संबंधित प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्देशित किया गया कि पदों के अनुरूप उचित योग्यता का निर्धारण करें तथा उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम में अनुभव के स्थान पर राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के उपक्रमों/निगमों में किये गये कार्य का अनुभव को भी शामिल करते हुए प्रस्तावित योग्यता का पुनः परीक्षण करवाया जाये तदोपरान्त निधि प्रबन्ध समिति की आगामी बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।

प्रस्ताव–7 लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के एमएसीटी वाद को प्रतिकर के भुगतान के संबंध में

समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए निर्देशित किया कि चूंकि एमएसीटी वाद के प्रतिकर का भुगतान न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन से संबंधित है ऐसी स्थिति में भविष्य में एमएसीटी वाद के प्रतिकर के भुगतान हेतु प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग को अधिकृत करते हुए उनके स्तर से ही वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत कर दी जाये। इस मद पर किये गये व्यय से समिति को अवलोकित करा दिया जाया करे।

प्रस्ताव–8 नगरीय परिवहन को सुदृढ करने हेतु बिजनेस प्लान एवं रीस्ट्रक्चरिंग स्टडी का प्रस्ताव

निदेशालय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निर्देशित किया गया कि संबंधित प्रस्ताव आरएफपी डाक्यूमेन्ट एवं टर्म्स आफ रिफरेन्स (Terms of Reference) के साथ आगामी निधि प्रबन्ध समिति की बैठक में प्रस्तुत करें।

प्रस्ताव–9 कम्प्रीहेन्सिव मोबिलिटी प्लान बनाया जाना

निदेशालय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान नही किया गया। पूर्व में जितने सीएमपी बने हैं उनका परीक्षण किया जाये और जिन बिन्दुओं पर प्लान को पुनरीक्षित किया जाना है उनका उल्लेख करते हुए आगामी बैठक में प्रस्ताव प्रेषित किया जाये।

प्रस्ताव–10 एसपीवी प्रयागराज के नगरीय परिवहन बस बेड़े के विस्तार/प्रतिस्थापन हेतु प्रस्ताव

निदेशालय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निर्देशित किया गया कि प्रस्ताव संख्या–3 में लिए गये निर्णय के अनुसार गठित समिति के परीक्षणोंपरान्त प्रस्तुत किया जाय।

प्रस्ताव–11 इलेक्ट्रिक बसों के साथ–साथ सीएनजी बसों का संचालन कराया जाना

निदेशालय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) द्वारा प्रदेश के कई प्रमुख शहरों को अत्यधिक प्रदूषित शहरों की श्रेणी में रखा गया है। ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रिक/सीएनजी बसों के संचालन हेतु प्रदेश के शहरों के चयन में जनसंख्या के स्थान पर वायु प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए ऐसे शहरों का चयन किया जाये जहां वायु प्रदूषण सबसे अधिक हो। शहरों का चयन करने में Non Attainment Cities को प्राथमिकता दी जाय। इसके अतिरिक्त सेवा प्रदाता का चयन करने के पूर्व चयनित शहरों में एसपीवी का गठन अवश्य कर लिया जाये।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई। किन्तु इस संबंध में कार्यवाही प्रस्ताव संख्या–3 में लिए गये निर्णय के अनुसार गठित समिति के परीक्षणोंपरान्त की जाये।

उपरोक्तानुसार हुए विचार–विमर्श तथा निर्णय के पश्चात् बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

मनोज कुमार सिंह
प्रमुख सचिव/सदस्य सचिव निधि प्रबन्ध समिति